न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर

पीठासीन अधिकारी :— श्री महावीर सिंह जोधा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 188 / 2019

आर.सी.एम.एस. पोर्टल दर्ज नम्बर 2019 / 00223

प्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ताराचंद पिता दौलाराम जाति पालीवाल निवासी रामसर, लोडता अचलावता तहसील बालेसर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित
2. प्रार्थीगण अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 25.11.2019

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू—राजस्व अधिनियम का पेश किया था। तहसीलदार बालेसर द्वारा तहसील बालेसर के ग्राम रामसर पटवार मण्डल लोडता अचलावता के खसरा नम्बर 520 में विभाजन / बैचान / आवंटन / नियमन / दान / समर्पण / संपरिवर्तन / अवाप्ति आदि विभिन्न प्रकार से हुए परिवर्तनो का राजस्व रेकर्ड नक्शे में वन टू वन मेपिंग एवं तरमीम का कार्य प्रगति पर होने के कारण राजस्व रेकर्ड, नक्शे एवं मौके अनुसार मिलान नही होने की दशा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रारूप एवं मौका फर्द प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार आदेश जारी करने का निवेदन किया गया है।

तहसीलदार बालेसर का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नही होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। राजकीय पैरोकार की बहस सूनी गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ग्राम रामसर पटवार मण्डल लोडता अचलावता के खसरा नम्बर 520 में प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू—राजस्व अधिनियम के संलग्न प्रस्ताव (प्रारूप) एवं मौका फर्द के अनुसार राजस्व रेकर्ड / राजस्व नक्शे को शुद्व करने हेतु तहसीलदार बालेसर को निर्देश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत प्रस्ताव (प्रारूप) एवं मौका फर्द आदेश का भाग माना जावेगा। उक्त आदेश सेग्रीग्रेसन कार्य हेतु मान्य होगा। अप्रार्थीगण को इस आदेश से कोई आपत्ति हो तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करते हुए अपने हक हकूत साबित करने के लिए स्वतन्त्र रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार बालेसर को प्रेषित होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारन अपना—अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 25.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(महावीर सिंह जोधा)

उपखण्ड अधिकारी

पीठासीन अधिकारी

एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर

Scanned by CamScanner

प्रारूप

स.	खातेदार के नाम	खातेदार के नाम प्रविष्टि का		जमाबंदी की वर्तमान प्रविष्टि				दुरुस्ती हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि				विशे... विवर...
		नामा. सं	नामा. के प्रकार	ख.नं.	रकबा बीघा में	किस्म	लगान	ख.नं.	रकबा बीघा में	किस्म	लगान	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
	तारावन्द पि. डोलावन ~~[illegible]~~			~~519~~ 1 520	18.18	BII	2.27	520/1	5.02	BII		
								520/2	13.16 ~~[illegible]~~	BII		
								2	18.18	BII	2.27	

10-8-19

पटवारी (भू.अ.) खारिया अंचलावता
तहसील बालेसर जिला-जोधपुर

निरीक्षक (भू.अ.)
निरीक्षक (भू.अ.) [illegible] अंचलावता
तहसील बालेसर, जिला-जोधपुर

तहसीलदार
तहसीलदार (भू.अ.) बालेसर

Scanned by CamScanner

मौका फर्द

आज दिनांक ....को राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना DILRMP योजनान्तर्गत ग्राम ..रामपुर......के खसरा नंबर ...520............. कुल रकबा ..18.18...........बीघा में विभाजन / बैचान /आंवटन / नियमन / दान /समर्पण / संपरिवर्तन / अवाप्ति आदि विभिन्न प्रकार से हुए परिवर्तनों को राजस्व नक्शेवन टू वनं मेपिंग एवं तरमीम कर खसरे की सही स्थिति का अंकन करने हेतु मौके पर रूबरू पक्षकारान एंव अन्य ग्रामीणों के साथ पंहुचे। मौके एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार निम्नलिखित स्थिति पायी गयी :-

N

S

नामान्तरकारण की पुश्त/दस्तावेज पर अंकित खसरे की स्थिति	मौके पर वर्तमान में खसरे पर काबिज खातेदारान की खसरा स्थिति
उपलब्ध नहीं	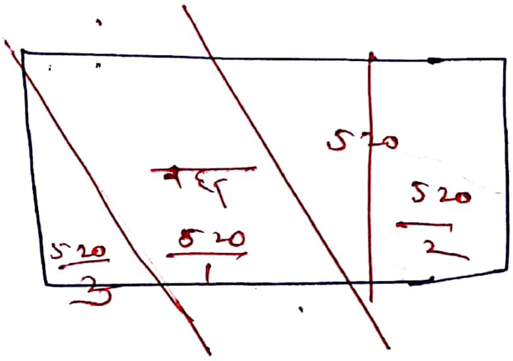

पक्षकारान द्वारा मौके पर काबिज अनुसार तरमीम किये जाने की सहमति दी गई, परन्तु राजस्व रेकर्ड एवं मौके अनुसार नक्शे एवं खसरो का मिलान नहीं हो रहा हैं।

निरीक्षक (भू.अ.) भू-अभिलेख निरीक्षक
तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

पटवारी (भू.अ.) पटवारी
तहसील बालेसर जिला-जोधपुर

मौके अनुसार तरमीम किया जाना उचित है

तहसीलदार (भू.प्र.) बालेसर

Scanned by CamScanner